

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक-20-4-0022

विषय- श्री अशोक यादव द्वारा शेखपुरा जिलान्तर्गत जलालपुर मन्दना मौजा के खाता संख्या 125, 99, 131, 80 खेसरा संख्या 476 477 485 486 थाना संख्या 155, अंचल-शेखपुरा में बरबीघा-शेखपुरा पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0225 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक FC/80/2021-326 दिनांक 13.04.2022
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/144139/2021/216, दिनांक 07.04.2022 द्वारा दो भाग में Stage-1 की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग-A में 1 से 6 एवं भाग-B में 1 से 10 शर्तें अधिरोपित की गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ-

भाग-A

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्रावकलन की राशि रु. 7,71,390.00 मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270144139298, Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 18.04.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. CNRBR52022041880909408 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.0225 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 21,550/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270144139298, Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 18.04.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. CNRBR52022041880909408 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi के खाता में दिनांक 18.04.22 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूँगा।
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,71,390.00 मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270144139298, Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 18.04.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. CNRBR52022041880909408 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 9 (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
10. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वसुसमाजन,

अशोक यादव

पिता- स्व० राम स्वरूप यादव,

ग्राम-बिहटा, पोस्ट मन्दना

जिला-शेखपुरा पिन-811105

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-04-2022

Agency Name:	ASHOK YADAV HPCL
Application No.:	70144139298
MuEF/SG File No.:	FP/GR/APPROACH/144139/2022
Location:	BIHAR
Address:	Sri Ashok Yadav So Sri Ram Swarup Yadav At Bihta Po Mandana District SheikhpuraSheikhpura
Amount(In Rs)	792940/-

Amount in Words :Seven Lakh Ninety-Two Thousand Nine
Hundred and Forty Rupees - Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1506270144139298 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

* This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only.

After making successful payment, User Agencies may
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through chal
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Email: cb0371@unionbankofindia.com

Prior

UTR no:-CNRBR52022041880909408

कैपेनरा बैंक
for Capara Bank
Signature
पञ्चकालीन राजपूत, डिप्टी मैनेजर
पञ्चकालीन राजपूत, डिप्टी मैनेजर

**कार्यालय जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के तहत रैखिक
परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र**

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक -
28.10.2014 को निर्गत दिशा-निदेश के तहत)

संख्या - 715.....

दिनांक - 23/09/2021

प्रमाणित किया जाता है कि शेखपुरा जिले में प्रयोक्ता एजेंसी एच0पी0सी0एल0 द्वारा शेखपुरा जिलान्तर्गत अंचल - शेखपुरा में बरबीधा से शेखपुरा पथ के किनारे एच0पी0सी0एल0 का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु कुल - 30 मीटर में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.0225 हे० एकड़ के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के प्रतिनिधि श्री अशोक यादव के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक - 1221, दिनांक - 14.07.2021 द्वारा FRA 2006 का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जौंचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कड़िका - 1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक - 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान :- शेखपुरा

तिथि :-


23-9-21
जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा